

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 145 of 2026

IN THE MATTER OF:

Asad Khan Mohammad

...Applicant

Versus

Union Of India and Ors.

...Respondents

REPLY/AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 9

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

- 524 556
03 JUL 2026
1. That the present Reply/Affidavit is being filed on behalf of Respondent No. 9 in compliance with the order dated 09.03.2026 passed by this Hon'ble Tribunal.

PRELIMINARY SUBMISSIONS


2. That at the outset, it is submitted that the allegations made in the Original Application are denied except those specifically admitted herein.
3. That the present application qua Respondent No. 9 is misconceived and liable to be dismissed against the Respondent No. 9 for the reasons stated hereinbelow.

W


4. That the allegations made out in the present O.A are wrong and denied as the Respondent No. 9 acts diligently and with responsibility as and when any complaint is made to its office.

Infact the Respondent No. 9 had constituted a Joint inspection Committee wherein the Additional District Magistrate, Haridwar, Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Roorkee and In-Charge Mining Officer/Mining Inspector, Directorate of Geology and Mining, Haridwar were appointed as members of the committee and directed them to carry the field verification and do proper inspection the place. The committee found that the Respondent No.11 is located at village Dadubans, paragna Roorkee, Tehsil and district Haridwar was granted permission by the Industrial Development Section 1, Government of Uttarakhand vide Office Memorandum number 969/7-1/05 Stone Crusher/2017 dated 24.10.2017 for establishment and operation of stone crusher, screening plant, mobile stone crusher, mobile screening plant, hot mix plant, ready mix plant on 2.225 hectares of land with the production capacity of 200 tons per day i.e 20 tons per hour. The permission was granted for five years under the Uttarakhand stone crusher, screening plant, mobile stone crusher, mobile screening plant, hot mixed plant and ready-mix Plant policy 2016. Subsequently, vide Office Memorandum No.1722/7-A-1/2023-05 Stone Crusher/2017 dated 24.03.2023, the Industrial Development Section 1, Government of Uttarakhand, renewed the permission for a further 10 years.

It was also found that the Uttarakhand pollution Control Board had granted Consolidated Consent and Authorization (CCA) to the




Respondent No. 11 on 30.09.2020 under section 25 of the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974; Section 21 of Air (Prevention and control pollution) Act 1981 and the Hazardous and other waste management and transboundary movement rules 2016. The Consolidated Consent and Authorization has thereafter been renewed from time to time. The copy of the latest CCA order dated 21.05.2026 was also provided by the Respondent No.11. The Committee also found that the Respondent No.11 has also been abiding by most of the Environmental Protection measures in accordance with the Environment Protection rules 1986 wherein installation of water sprinkles for suppression of dust pollution, construction of a boundary wall, development of internal paved roads within the premises, arrangement for regular water sprinkling inside the premises to control dust, development and maintenance of a Greenbelt around the premises are involved. During periodic inspections of the industry, it is ensured that these pollution control measures are being maintained and implemented.



It is also important to mention here that with reference to the “Environmental guidelines for stone crushing units” issued by the Central Pollution Control Board, the regional officer informed the inspection committee that the stone crusher has complied with most of the provisions of the guidelines and that the remaining provision will be complied with within the stipulated time as an undertaking with respect to it has also been given by the Respondent No. 11.

5. In order to check illegal mining activity, the joint team made surprise inspection of the M/s S.A. Rawat Stone Crusher and found certain

irregularities. During the inspection, the quantity of mined material like stone mining material available at the stone crusher site was physically measured. Upon verification it was found that the quantity of minded material available at the site exceeded the quantity recorded on the e-Ravenna portal by 3263.0775 metric ton. For the excess quantity of the minor minerals, a penalty of rupees 9,13,662/- calculated at four times the applicable royalty, was imposed on M/s S.A. Rawat Stone Crusher, village Dadubans, pargana Roorkee, Tehsil and district Haridwar in accordance with the applicable rules. Considering the above irregularities, the Stone Crusher was sealed on the spot, and its e-Ravanna portal account was suspended immediately.



6. Later on, the partner of M/s S.A. Rawat stone crusher, Mr. Sattar deposited the penalty amount of Rs. 9,13,662/- on 05.02.2026. Thereafter, after verifying the deposited amount the permission was granted to remove the seal from the stone crusher and reactivate the E-Ravanna portal on 06.02.2026.

7. With respect to the allegations of illegal mining on the private land of the applicant, the revenue department reported that the applicant is recorded to be the tenure holder (bhumidhar) of land mentioned in Khasra numbers which are mentioned in the present Original Application of the applicant. It was found that no land belonging to the applicant could be identified at the site. The land was not found to be specifically demarcated or enclosed by fencing or any other physical boundary. At certain places within the area, mining activity by unknown person was found to have taken place. As per the Revenue department report the site of Respondent 11 i.e M/s S.A. Rawat Stone Crusher is situated at an approximate distance of 4

kilometers from the land of the applicant. The Report of the Joint Inspection Committee has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1** at pages 11 to 34.

PARAWISE REPLY:


8. That the contents of Para No.1 and 2 of the original application are matter of facts and do not require any reply.

SM 556

03 JUL 2026

9. That the contents of Para No. 3 of the present original application are the matter of facts and do not require any reply.

10. That the contents of Para No. 4 of the present application are about the issues raised by the applicant indicating the violation of rules and guidelines as per different laws. The reply with respect to the above issues have been given above and are not again mentioned for the sake of brevity.



11. That the content of the Para No. 5 is a matter of fact and does not need any reply.


12. That the contents of Para 6(i) are matter of fact and as such does not require any reply. But indeed, the stone crushing units are potential source of dust and noise pollution, however, provisions for appropriate dust containment cum suppression systems are there, which are mandatory to be installed by the crushing units to minimize the dust pollution and noise levels.

13. That the contents of Para 6(ii) are matter of record and do not require any reply. However, it is pertinent to mention that the stone crusher units are required to obtain necessary permission from the State Government under the then prevailing policy that is Uttarakhand stone crusher, screening plant, mobile stone crusher, mobile screening plant, hot mix plant, ready mix plant Anugya Niti 2016. The copy of

the permission accorded to the Respondent No. 11 dated 24.10.2017 and the renewed permission 24.03.2023 has been annexed here with us **Annexure R-2** at pages 35 to 38.

14. That the contents of Para 6(iii) are matter of record and do not require any reply. However, generally the inspection of the stone crusher is done by the concern regulatory authority from time to time and in case it is found that there is noncompliance of the rules and guidelines provided to be followed by the stone crusher, the necessary action is taken in accordance with law.

SM 556
U 3 JUL 2026



15. That the contents of Para 6(iv), (v), (vi) are matter of record and are related to the Consolidated Consent Authorization (CCA) which is issued by Uttarakhand Pollution Control Board to the Respondent No.11 from time to time. Therefore, the reply of Uttarakhand Pollution Control Board i.e Respondent No. 5 and 6 may be considered.

16. That the contents of Para 6(vii) (viii) (ix) and (x) are concerned with the illegal mining activities by the Respondent No. 11. It is pertinent to mention here that whenever there are any illegal mining activities the concerned department take action time to time. During the surprise inspection of the Respondent No. 11 i.e M/s S.A. Rawat Stone Crusher on 03.02.2026, the joint team of Revenue Department and Mining Department recorded excess mine materials in the premises with respect to the quantity recorded on online e- Ravanna portal. Subsequently, following the irregularity, stone crusher was sealed and penalty was imposed against the Respondent No. 11. The copy of action taken by the district administration in this regard has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3** at pages 39 to 44.

✓

17. That the contents of Para 6(xi) (xii) (xiii) are matter of fact. However it is apparently clear that Anugya(permission) for operation of a stone crushing unit is accorded to produce capacity of 20 metric ton per hour or 200 Matric ton/day only for raw material obtained from legitimate source and any usage of illegal mined material may attract violation of Anugya conditions. In the present case also when the irregularities of excess mined material were found, the district administration had taken a strict action against the Respondent 11 by sealing the stone crusher and imposing a heavy penalty against it.



18. That the contents of Para 6(xiv) (xv) are matter of fact and have already been dealt with in the preceding paras. Therefore, for the sake of brevity the reputation is not done.

19. That the contents of Para 7 are matter of fact and do not require any reply.

20. That the contents of Para 8 are matter of record and do not require any reply.

REPLY ON THE BASIS OF THE GROUNDS RAISED BY THE APPLICANT:

1. That the contents in Ground (A) are matter of fact and do not require any reply. However, if there is any violation of any rules, guidelines issued or of any law then the district administration time to time take action against the violator.
2. That with respect to the Ground (B) it is stated that the maximum mandatory safeguards which are to be installed for the containment of pollution have been installed and the stone crusher has complied with most of the provisions of the guidelines and for the remaining

W

provisions, a undertaking has been given to comply with within the stipulated time.

3. That regarding to the Ground (C) it is informed that when the joint inspection of the site was done it was found that there was installation of water sprinkles for suppression of dust pollution, construction of a boundary wall, development of internal paved roads within the premises, arrangement for regular water sprinkling inside the premises to control dust, development and maintenance of a Greenbelt around the premises could be seen.

SM 556
U 3 JUL 2026



4. That with respect to the Ground (D) Respondent No. 11 has been granted permission to mine the land 20 MT/H or 200 MT/Day. When the inspection was done, the excess of mined material was found at the site. Therefore, the District Administration had immediately took action of sealing the stone Crusher and imposed a heavy penalty of Rs. 9,13,662/- on 05.02.2026.

5. That with respect to the Ground (E) it is humbly informed that in the surprised joint inspection it was found that no land belonging to the applicant could be identified at the site. The land was not found to be specifically demarcated or enclosed by fencing or any other physical boundary. At certain places within the area, mining activity by unknown person was found to have taken place. As per the Revenue department report the site of respondent 11 i.e M/s S.A. Rawat Stone Crusher is situated at an approximate distance of 4 kilometers from the land of the applicant shown in khasra Nos. as mentioned in the present Original Application.

6. That with regard to the Ground (F) and (G) raised by the Applicant it is stated that during inspection when it was evaluated that the mined

W

material is in excess to the disclosed material, the heavy penalty is imposed by the District administration.

7. That the concerns like this as raised by the Applicant in Ground (H) and (I) are efficiently handled by Police Department. The machinery of Police department and the office of Respondent No. 9 work hand in hand and tackle such threats seriously in such cases. In the present case the SSP, Haridwar would take necessary steps to ensure the safety of the Applicant as has been directed by the Hon'ble Tribunal.
8. That regarding the Ground (J) raised by the Applicant, it is informed that the District Administration and office of Respondent No. 9 take serious action when there is any environmental concern or violation of any rule or guidelines affecting the environment. In the present case also the Respondent No. 9 had constituted joint inspection committee so that environment concerns may be addressed properly and action shall be taken accordingly.
9. That regarding the Ground (K) and (L) it is stated that the although the Stone Crusher unit may impose threat to air quality, water resources etc. still if such industry is run in accordance with environmental policies and abiding by the different laws then risk, if any, can be mitigated.
10. That the contents of the Ground (M) are matter of fact and therefore does require any reply.


PRAYER

In view of the facts and circumstances stated hereinabove, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

- a. Take the present Reply/Affidavit on record;
- b. Dismiss the Original Application/Appeal as being devoid of merit;

W

57-556
03 JUL 2026




c. Pass such other order(s) as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

W
DEPONENT

VERIFICATION

1, District Magistrate, Haridwar, Uttarakhand, the Deponent above named, do hereby verify that the contents of the above Reply/Affidavit are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.


Verified at Haridwar, Uttarakhand on July 2026.



W
DEPONENT

IDENTIFIED

श्रीमान्
डा० राजेंद्र सिंह
क्षेत्रीय अधिकारी
प्र० नि० बी० डी०
आधार न० 7025 6048 9637



संयुक्त निरीक्षण आख्या

1. मा0 एन.जी.टी. द्वारा मूल आवेदन सं0-145/2026 Asad Khan Mohammad Versus Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.03.2026 के अनुपालन में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा पत्र सं0-497/खनन सहायक-2026 दिनांक 27.04.2026 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को संयुक्त जांच हेतु निर्देशित किया गया:-
 - i. उप जिलाधिकारी, हरिद्वार
 - ii. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की।
 - iii. प्र0 खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में विषयगत क्षेत्र एवं स्टोन क्रेशर- मै0 एस.ए. रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम-दादूबांस, परगना-रूड़की, तहसील एवं जिला-हरिद्वार का निरीक्षण दिनांक 26.05.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की उपस्थिति संलग्न है। (संलग्नक-01)।
3. मै0 एस.ए. रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम-दादूबांस, परगना-रूड़की, तहसील एवं जिला-हरिद्वार को औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-969/VII-1/05-स्टोन क्रेशर/2017 दिनांक 24.10.2017 द्वारा ग्राम-दादूबांस, परगना-रूड़की, तहसील एवं जिला-हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत कुल- 2.225है0 नाप भूमि में 200 टन प्रतिदिन अर्थात् 20 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2016 के अन्तर्गत 05 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा निर्गत की गयी है। (संलग्नक-02)। औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1722/VII-A-1/2023-05 स्टोन क्रेशर/2017 दिनांक 24.03.2023 द्वारा उक्त अनुज्ञा को 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की गयी। (संलग्नक-03)।
4. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मै0 एस.ए. रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम-दादूबांस, परगना-रूड़की, तहसील एवं जिला-हरिद्वार को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 एवं परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार परिचालन) 2016 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2020 को Consolidated Consent & Authorization (CCA) निर्गत की गयी। Consolidated Consent & Authorization (CCA) को अग्रेतर समय-समय पर नवीनीकरण किया गया। स्टोन क्रेशर को निर्गत नवीनतम CCA आदेश दिनांक 21.05.2026 की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-04)।
5. उद्योग मै0 एस.ए. रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम-दादूबांस, परगना-रूड़की, तहसील एवं जिला-हरिद्वार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम-1986 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत पर्यावरणीय मानकों यथा - धूल जनित बिन्दुओं पर जल छिड़काव हेतु फव्वारों की व्यवस्था, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण, परिसर में पक्की सड़क की व्यवस्था, हरित पट्टिका का विकास, परिसर में धूल नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गयी है। समय-समय पर उद्योग के निरीक्षण में उक्त व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता की जाती है।
6. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्टोन क्रेशरों हेतु जारी "Environmental Guidelines for Stone Crushing Units" के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्टोन क्रेशर द्वारा गार्डडलाईस के अधिकांश प्रावधानों का अनुपालन किया गया है तथा शेष प्रावधानों का समयबद्ध रूप से अनुपालन किया जाना है।




7. अवैध खनन के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 03.02.2026 को राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार द्वारा संयुक्त रूप से उद्योग मै0 एस.ए. रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम-दादूबांस, परगना-रूड़की, तहसील एवं जिला-हरिद्वार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय स्टोन क्रेशर में उपलब्ध उप खनिज की मौके पर पैमाईश की गयी। पैमाईश में उक्त स्टोन क्रेशर में मौके पर उपलब्ध उप खनिज की मात्रा, ई-रवन्ना पोर्टल में उपलब्ध उप खनिज की मात्रा के सापेक्ष 3263.0775 टन उप खनिज अधिक पाया गया। मौके पर अधिक पाये गये उप खनिज पर मै0 एस.ए. रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम-दादूबांस, परगना-रूड़की, तहसील एवं जिला-हरिद्वार के विरुद्ध नियमानुसार रायल्टी का चार गुना की दर से रु 9,13,662/- का अर्थदण्ड आरोपित की गयी। उक्त अनियमितता के दृष्टिगत मै0 एस.ए. रावत स्टोन क्रेशर को मौके पर सील करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल अस्थाई रूप से निलम्बित कर दिया गया।
8. मै0 एस.ए. रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम-दादूबांस, परगना-रूड़की, तहसील एवं जिला-हरिद्वार के पार्टनर श्री सत्तार द्वारा आरोपित अर्थदण्ड धनराशि रु 9,13,662/- दिनांक 05.02.2026 को जमा की गयी। तदोपरान्त स्टोन क्रेशर को दिनांक 06.02.2026 को सील मुक्त करने एवं ई-रवन्ना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की गयी। (संलग्नक-05)।
9. मै0 एस.ए. रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम-दादूबांस, परगना-रूड़की, तहसील एवं जिला-हरिद्वार द्वारा माह जनवरी- 2026 से दिनांक 25.05.2026 की अवधि में ई-रवन्ना पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित फर्मों के खनिज पट्टों से उप खनिज क्रय किया गया:-


क्रम सं०	फर्म का नाम एवं पता	खनन पट्टा स्थल
1.	Shri Bhagirathi Enterprises, Near J P Palaza, Kargi Road, Dehradun	Kotra Santur, Dehradun
2.	Kailash River Bed Minerals LLP, Govind Nagar, Sahastradhara Road, Dehradun	Suman Nagar, Haridwar
3.	M/S Uniyal Traders, Dhalwala, Rishikesh	Rishikesh
4.	Vardaan Enterprises, Miyawala Harwala, Dehradun	Fetehpur Danda, Rishikesh
5.	M/S Kallu Singh Contractor, Bhikkampur Jeetpur, Laksar, Haridwar	Bhikkampur Jeetpur Laksar Haridwar
6.	Kailash River Bed Minerals LLP, Govind Nagar, Sahastradhara Road, Dehradun	Lalwala, Haridwar
7.	Kailash River Bed Minerals LLP, Govind Nagar, Sahastradhara Road, Dehradun	Lam Grunt, Haridwar
8.	Maruti Nandan Sah, C/o GMVN 74/1 Rajpur Road Dun	Mazri Grunt, Dehradun
9.	Siddhi Vinayak Enterprises, Rawali Mahdood Haridwar	Anneki Hetampur, Haridwar
10.	Kailash River Bed Minerals LLP, Govind Nagar, Sahastradhara Road, Dehradun	Aurangabad, Haridwar
11.	Kailash River Bed Minerals LLP, Govind Nagar, Sahastradhara Road, Dehradun	Jawalapur, Haridwar
12.	Dev Enterprises, Roshnabad Haridwar	Salempur, Haridwar
13.	Kailash River Bed Minerals LLP, Govind Nagar, Sahastradhara Road, Dehradun	Dadubas, Haridwar
14.	Kailash River Bed Minerals LLP, Govind Nagar, Sahastradhara Road, Dehradun	Dumet, Vikasnagar, Dehradun

10. श्री असद खान मोहम्मद द्वारा उनकी निजी भूमि में अवैध खनन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि श्री असद खान मोहम्मद के नाम ग्राम-दादूबांस ग्रंट में भूमि खाता सं०-37 के खसरा नं०- 2/12 क्षे० 0.0510 है०, 2/15 क्षे० 1.1540 है०, 3/2 क्षे० 0.2360 है०, 4/6 क्षे० 0.9430 है०, 5/13 क्षे० 0.820 है०, 1/3 मि क्षे० 0.2050 है०, 1/3 मि क्षे० 0.4100 है० कुल- 07 किते क्षेत्रफल 2.0810 है० भूमि बतौर संकमणीय भूमिघर खातेदार के रूप में अंकित है। श्री असद खान मोहम्मद के नाम की भूमि स्थल पर डोल नहीं पायी गयी और न ही भूमि पर विशिष्ट रूप से तारबाड़ आदि से घिरी हुई पायी गयी। उक्त क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खनन किया जाना पाया गया। राजस्व विभाग की आख्यानुसार अवगत कराया गया कि मै० एस.ए. रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम-दादूबांस, परगना-रूड़की, तहसील एवं जिला-हरिद्वार से श्री असद खान मोहम्मद की भूमि की अनुमानित दूरी 04 कि०मी० है। (संलग्नक-06)।

तदनुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।


(अनिल कुमार)


सर्वेक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म
विभाग, हरिद्वार


(मुकेश कुमार)


राजस्व उप निरीक्षक,
राजस्व विभाग


(अजय कपिल)

राजस्व निरीक्षक,
राजस्व विभाग


(मौ० फ़ाजिम रजा)

जिला खान अधिकारी, हरिद्वार



(डा० राजेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी,

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की।


उप जिलाधिकारी,
हरिद्वार।



Photo: Boundary wall and Green belt development. Date: 26.05.2026



Photo: Green belt and covered shed over crushing units. Date: 26.05.2026



Photo: Covered shed over crushing unit and conveyor belts. Date: 26.05.2026

कार्यालय पिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के पत्र संख्या 497/खनन
 संदेशिका-(2026)दिनांक 27-04-2026 तथा उपरनिवेदित
 श्रेष्ठ स्व. रविसिन्धी निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या
 151/मू० आ० सं० 145/2026/शु०स्वीनिनी०। हरि०/2026-27
 दिनांक 10-04-2026 के क्रम में आज दिनांक 26/05/2026
 को गाम्भीर्य राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में वाद
 संख्या 145/2026 "असद खान मोहम्मद" बनाम शुभिका
 आज श्रेष्ठिया व अन्य के सम्बन्ध में गठित संयुक्त
 निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण रुषी सम्पन्न किया गया।
 निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग	हस्ताक्षर
1	श्री० शशि शर्मा	पिलाशुभ आधिकारी	खनन विभाग	
2	Mr. Rajendra Singh	श्री० राजेंद्र सिंह	खनन विभाग	
3	विवेक कुमार	सर्वेक्षण	खनन विभाग	
4	अनमज सिंह	श्री० अ. नमज	खनन विभाग	
5	मुकुंद कुमार	श्री० मु. कुं	खनन विभाग	 26/5/26 R.S.I.

उत्तराखण्ड शासन
 औद्योगिक विकास अनुभाग-1
 संख्या: 969 /VII-1/05-स्टोन क्रेशर/2017
 देहरादून : दिनांक: 24 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पत्र सं० 208/स्टोन क्रेशर/खनन/हरि०/2017-18 दिनांक 15 जून, 2017 के क्रम में आवेदक श्री सईदुर्रमान मै० एस०ए०रावत स्टोन क्रेशर ग्राम दादूबांस, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार को ग्राम दादूबांस, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत खाता सं० 259 के गाटा संख्या 255, 297, 230/7, 274/4, 276/3, 278, 279/1, 280/1, 287/2, 277/2 कुल रकवा 1.5666है० में से 1/2 भाग यानि 0.6666है० व खाता संख्या 87 के गाटा संख्या 277/3, 213 रकवा 0.205है० व खाता संख्या 93 के गाटा संख्या 277/3 व 171/2 रकवा 0.274है० व खाता संख्या 89 के गाटा संख्या 234 में से 1/3 भाग यानि रकवा 0.1126है० व खाता संख्या 75 के गाटा सं० 234/0.482है० व 234 व 235 रकवा 1.650है० में से 1/2 भाग यानि 0.550है० व खाता संख्या 138 के गाटा संख्या 138 के गाटा संख्या 224 इस प्रकार सभी खातों का कुल रकवा 3.2606है० मध्ये 2.225है० नाप भूमि में 200 टन प्रतिदिन अर्थात् 20 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित करेगा।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० उंची होगी।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
8. स्टोन क्रेशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed सेड के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
9. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल हवा में न उड़े।
11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

12. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
13. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण कशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्बारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
14. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा फब्बारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फब्बारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
15. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्कबिंग की जायेगी। स्कबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चैक लिस्ट के अनुसार स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।
17. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016, यथासंशोधित के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना होगा।
18. स्टोन क्रेशर को भण्डारण की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा स्टोन क्रेशर स्वामी को स्टोन क्रेशर संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्या:- १६९ (1)/VII-1/5-स्टोन क्रेशर/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, खनन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री सईदुर्रमान मै० एस०ए०रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम दादूबांस, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

संख्या: 1722 /VII-A-1/2023-05 स्टोन केशर/2017

देहरादून, दिनांक: 24 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं० 2774/खनन/भूखनि०ई०/स्टो०के०प्ला०नवी/हरि०/ 2022-23, दिनांक 25.10.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० एस०ए० रावत स्टोन केशर, ग्राम दादूबांस, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार के पक्ष में ग्राम दादूबांस, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 230मि, 274मि, 276मि, 278, 279मि, 277मि, 287मि, 281मि, 282मि कुल क्षेत्रफल 2.135 है०, जो कि एक संहत खण्ड में स्थित है, में स्वीकृत स्टोन केशर में पूर्व भागीदारों में से श्री साईदू रहमान पुत्र श्री सागीर अहमद, नि० म०न० 384, ग्राम ढाबा, पो० मिर्जापुर, बेहट, सहारनपुर, उत्तरप्रदेश को हटाते हुए नवीन भागीदार श्री सत्तार पुत्र श्री नानू नि० ग्राम हजाराग्रन्ट, औरंगाबाद, हरिद्वार का नाम अंकित करते हुए पूर्व से स्वीकृत/संचालित 20 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन केशर प्लांट का नवीनीकरण प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा सहित दिनांक 24 अक्टूबर, 2022 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु जनहित याचिका संख्या 210/2021 "प्रेम सिंह रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय एवं निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 14 "स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तों" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 02 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 8 (1) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
5. स्टोन केशर नीति-2021 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 16 (3) के प्रावधानानुसार मैदानी क्षेत्रों में 20 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन केशर अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क रू० 20,00,000/- (रूपये बीस लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष शुल्क रू० 19,78,000/- (रूपये उन्नीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) प्लांट के नवीनीकरण स्वीकृति के उपरान्त, ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
6. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन केशर नीति-2021 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 38 के अनुसार स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा

पर सर्वोत्तम एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू० 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखांक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 39 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
8. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 39 (2) के अनुसार यदि स्टोन क्रेशर प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
9. स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 39 (3) के अनुसार स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. प्लांट स्वामी के द्वारा वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, देहरादून में प्रस्तुत किया जाना होगा।
11. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार प्लांट में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
12. शासन से अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त प्लांट स्वामी के द्वारा अन्य भागीदार यथा श्री सददाम अहमद रावत व श्री शहजाद अहमद के पक्ष में निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, जिलाधिकारी कार्यालय व जिला खान अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट स्वामी का ई-रवन्ना पोर्टल खोला जायेगा।
13. प्लांट स्वामी के द्वारा मा० उच्च न्यायालय, मा० उच्चतम न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्या:- 122(1)/VII-A-1/2023-05 स्टोन क्रेशर/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. मै० एस०ए० रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम दादूबांस, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

164

Annexure-4
UKPCB

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
“Gaura Devi Paryavaran Bhawan”
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun
E-mail : msukpcb@yahoo.com, Phone No.-0135-2607092

File No. UKPCB/HO/Con/S-767

Consent No. - 4829

To,
M/s S A Rawat Stone Crusher,
Dadubans, Roorkee, Distt. Haridwar.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the “Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974” and under Section-21 of the “Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981” and Authorization under “Rule-6(2)” of the “Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016” notified under “Environment (Protection) Act, 1986” as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

CAF ID - 5751	Application no.- 3971613
CCA (Renewal)	Date :- 28.03.2026

CCA is hereby granted to **M/s S A Rawat Stone Crusher, Dadubans, Roorkee, Distt. Haridwar** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is **granted for the period upto 31.03.2027** and valid for manufacturing of following products with **Capital Investment/Net Assets Values ₹ 220.0 Lacs :-**

S. No.	Last CCA		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1	Stone grit & dust	5000 MT	Stone grit & dust	5000 MT

2. **Specific Conditions under Water Act :-**

- (i) **The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-**

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	Nil	Nil
Sewage	0.5	0.5

- (ii) **Trade Effluent Treatment and Disposal :- Nil**

- (iv) **Sewage Treatment and Disposal:-** The applicant shall provide comprehensive Septic tank/soak pit as is required with reference to influent quantity and quality.

3. **Conditions under Air Act :-**

- (i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards :-

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1	DG Set 400 KVA x 1	5	Diesel	90 Ltr	Acoustic Enclosure & Stack.	As per norms under E(P) rules

Clean Environment and Healthy Life Style

स्वच्छ पर्यावरण व स्वस्थ जीवन शैली

165**UKPCB**

2	DG Set 40 KVA x 1	2	Diesel	20 Ltr	Acoustic Enclosure & Stack.	As per norms under E(P) rules
---	----------------------	---	--------	--------	-----------------------------------	----------------------------------

*In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be **stopped immediately** and this **Board** has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.*

- (ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 :-

- (i) The **Factory Manager** of **M/s S A Rawat Stone Crusher, Dadubans, Roorkee** is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
- (ii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes :-

S. No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	Schedule I – 5.1	0.010	Recyclable

- (iii) The authorization shall be in force for the **period upto 31.03.2027**.
- (iv) The authorization is subject to the conditions stated below and such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of authorization :-

- (i) The authorization shall comply with the provisions of the **Environment (Protection) Act, 1986**, and the rules made there under.
- (ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
- (iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
- (iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- (v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
- (vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
- (vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF&CC or CPCB/SPCB from time to time.
5. This CCA is valid for the manufacturing of product as mentioned in serial no. 1 of this CCA order by Crushing and screening of RBM only.
6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-**
- (i) Annual return in **Form-4** and **Waste Disposal Manifest** in **Form-10** under **Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** and **Third Party Audit Report**.
- (ii) Environment Statement in **Form-V** of **Environment (Protection) Rules, 1986**.
- (iii) Quarterly **compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area**.

166

UKPCB

7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
9. The Unit shall comply the "Approved Fuels" policy in the entire state of Uttarakhand and use the fuel as per the list of Approved Fuels listed in the order issued by the Board vide its letter no. UEPPCB/HO/Gen-183-426/2020/171-331 dated 17.07.2020.
10. Unit has to comply with the Specific & General conditions which are as follows :-

Specific Conditions:

1. **The Consent to Operate will attract execution of Board's Order dated 02.12.2022 subject to directions of Hon'ble High Court in this regard in the PIL 93/2022 as issued from time to time.**
2. Unit shall ensure 100% compliance of the conditions of CPCB Guidelines, 2023 for Stone Crusher.
3. The Unit shall strictly comply with the provisions of Water Act, Air & E(P) Act and Rules/Notifications made thereunder.
4. This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.
5. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
6. The unit shall not increase the production capacity as given in this CCA without prior Consent of the Board.
7. The industry shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of **Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules** made thereunder.
8. The unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under. Unit shall comply with the standards stipulated for stone crushing Units under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended time to time, so that ambient air quality not exceed prescribed limit at any time.
9. Unit shall provide wind breaking wall along the periphery of the premises.
10. Unit shall construct metallic road within premises.
11. Unit shall provide dust suppression/ containment system on all dust emitting sources /equipment.
12. Unit shall do regular wetting of the ground within premises.
13. Stone crusher shall be established inside the covered shed.
14. The unit shall provide green belt along the periphery.
15. Ducting system with ID fan to be provided for suction of dust and to be scrubbed with water. The water from scrubbing will be channelizing to settling tank. The water will be re-used for scrubbing.
16. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
17. The Stone Crushing units/Screening Plants/Pulverisers shall strictly follow the provisions of the **Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulviser Plants Hot Mix Plant, Ready mix Plant Anugya Policy, 2021** promulgated by the State Government and shall obtained necessary permission from the competent authority with in stipulated time specified in **Anugya policy-2021**, as amended time to time.
18. The industry shall ensure **all safety measures** and shall undertake **periodical assessment** by the competent authority.
19. The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.
20. **Unit shall comply with Directions/Orders/Guidelines issued by Hon'ble Courts/Tribunal and/or Competent Authority from time to time in reference to Stone Crusher.**
21. **The applicant shall strictly avoid the usage of single use plastics in the premises as per the list of banned single use plastics mentioned in the notification of**

167**UKPCB**

MoEF&CC, Government of India dated 12.08.2021 and notification of Uttarakhand Government issued vide letter no. 84/XXVIII-1-20-13(II)/2001 dated 16.02.2021.

22. The unit shall strictly adhere to provisions of Water Act, Air Act & E(P) Act and Rules/Notification made thereunder.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analyze the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UKPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the **Board** bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the **Board**, legal action shall be initiated against the applicant.
4. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
5. The industry shall provide uninterrupted entry to Pollution Control equipment for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
6. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
7. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
8. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
9. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
10. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
11. The **Board** reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
12. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the **Board**.
13. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
14. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the **Board** to close down the facility.
15. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.
16. The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on **Display Board of size 6x4 feet** outside the main factory gate within premises.
17. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.

UKPCB

18. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed **physical and chemical analysis of hazardous waste sample** and report to the **Board**.
19. The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and '**Hazardous**' shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
20. The industry shall store used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be **sold only to Registered Recyclers/Re-processors**.
21. In case of any transportation of hazardous waste, the details in **Form-10** of the **Hazardous & Other Wastes Rules, 2016** shall be submitted to the **Board**.

Digitally signed by
PARAG MADHUKAR DHAKATE
Date: 21-05-2026 13:35:28
(Dr. Parag Madhukar Dhakate)
Member Secretary

Copy to: **Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Roorkee, Distt. Haridwar** is directed to ensure that the unit strictly complies with all parameters prescribed by Guidelines of the Central Pollution Control Board (CPCB) for Stone Crusher within six (06) months. If any violation or non-compliance observed the same shall be immediately reported to the Head Office for further necessary action.

Member Secretary

आदेश

प्र० खान अधिकारी/खान निरीक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार के पत्रांक-2012 दिनांक 05.02.2026 के अनुसार दिनांक 03.02.2026 को राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा तहसील हरिद्वार के ग्राम दादुबांस स्थित मै० एस०ए० रावत स्टोन केशर का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के समय स्टोन केशर में कच्चा माल (आर०वी०एम०) मिला, जिससे अवैध खनन का उपखनिज लिये जाने की पुष्टि होती है। स्टोन केशर में उपलब्ध उपखनिज की मौके पर पैमाईश स्टोन केशर के मुंशी की उपस्थिति में की गयी। उक्त स्टोन केशर में मौके पर 13567.2 टन उपखनिज पाया गया। जबकि ई-खनना पोर्टल में 9813.45 टन उपखनिज दर्शित है, जिसका 5 प्रतिशत 490.6725 टन उपखनिज जोड़ने पर कुल 10304.1225 टन होता है। इस प्रकार स्टोन केशर में 3263.0775 टन उपखनिज अधिक पाया गया। मौके पर अधिक पाये गये 3263.0775 टन उपखनिज पर नियमावली के प्रावधानानुसार रायल्टी का चार गुना की दर से रू० 9,13,662/- का अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है एवं उक्त अनियमितता के दृष्टिगत मै० एस०ए० रावत स्टोन केशर का मौके पर सीज करवाते हुए ई-खनना पोर्टल अस्थायी रूप से निलम्बित कर दिया गया है। प्र० खान अधिकारी/खान निरीक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार द्वारा आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके कार्यालय अभिलेखों के अनुसार मै० एस०ए० रावत स्टोन केशर में वर्तमान "खनन सत्र" (01 अक्टूबर, 2025 से आतिथि तक) की अवधि में कोई अनियमितता का उल्लेख नहीं है।

श्री सत्तार प्रबन्धक/स्वामी मै० एस०ए० स्टोन केशर दादुबांस द्वारा उक्त अधिरोपित अर्धदण्ड धनराशि रू०-9,13,662/- ई-चालान सं०-08530226E0010930 दिनांक 05.02.2026 के द्वारा जमा करा दी गई है एवं जमा चालान की प्रति संलग्न करते हुए उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने एवं ई-खनना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

प्रश्नगत मामलों में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 06.02.2026 के अन्तर्गत उक्त अधिरोपित अर्धदण्ड धनराशि रू०-9,13,662/- ई-चालान सं०-08530226E0010930 दिनांक 05.02.2026 के माध्यम से श्री सत्तार प्रबन्धक/स्वामी मै० एस०ए० स्टोन केशर दादुबांस द्वारा जमा कर दिये जाने एवं प्र० खान अधिकारी/प्र० खान अधिकारी/खान निरीक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार द्वारा आख्या अनुसार मै० एस०ए० रावत स्टोन केशर में वर्तमान "खनन सत्र" (01 अक्टूबर, 2025 से आतिथि तक) की अवधि में कोई अनियमितता न होने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने एवं ई-खनना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
हरिद्वार।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या: 304/खनन-2025-26


दिनांक: 06 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-उप जिलाधिकारी हरिद्वार।

2-खान अधिकारी,भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार।

3-संबंधित केशर स्वामी/प्रोपराईटर।



 अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
हरिद्वार।

प्रेषक,

प्र०खान अधिकारी/खान निरीक्षक,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
हरिद्वार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या: २०।२ / भू०खनि०वि०-हरि०/अवैध खनन/2025-28

दिनांक: ०५ फरवरी, 2026

विषय: जनपद व तहसील हरिद्वार के ग्राम दादूबांस स्थित एस०ए०रावत स्टोन केशर के औद्योगिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 03.02.2026 को तहसील व जनपद हरिद्वार के ग्राम दादूबांस क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन की दूरभाष पर प्राप्त मौखिक शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा तहसील हरिद्वार के ग्राम दादूबांस स्थित मै० एस०ए० रावत स्टोन केशर का संयुक्त रूप से औद्योगिक निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के समय स्टोन केशर में कच्चा माल (आर०वी०एम०) मिला, जिससे अवैध खनन का उपखनिज लिये जाने की पुष्टि होती है। स्टोन केशर में उपलब्ध उपखनिज की मौके पर पैमाईश स्टोन केशर के मुंशी की उपस्थिति में की गयी। उक्त स्टोन केशर में मौके पर 13567.2 टन उपखनिज पाया गया। जबकि ई-रवन्ना पोर्टल में 9813.45 टन उपखनिज दर्शित है। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न है।

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम (14)(5)(ग) में प्रतिस्थापित नियम के प्राविधानानुसार "भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर नियमावली के नियम 14 के उपनियम (5) का खण्ड (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियमावली के नियम (14)(5)(क) में प्रतिस्थापित नियम के प्राविधानानुसार "यदि भण्डारणों में कोई अवैधता/अनियमितता पाई जाती है तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज/ई-रवन्ना पोर्टल को बन्द करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण/सक्ष्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार में रायल्टी का तीन गुना तथा उसके पश्चात् रायल्टी का चार गुना के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। (किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी आदि के नाम से एक से अधिक अनुज्ञा स्वीकृत होने पर यदि एक अनुज्ञा स्थल पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है अथवा उक्त नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व आरोपित किया गया है तो दूसरे अनुज्ञा स्थल पर अर्थदण्ड रायल्टी के चार गुना के समतुल्य धनराशि आरोपित की जायेगी)। सम्बन्धित भण्डारणकर्ता के द्वारा उक्त अधिरोपित धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक के द्वारा दी जायेगी। यदि भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर कम पायी

जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध उक्तानुसार धनराशि आरोपित करते हुये कम पायी गयी उपखनिज की मात्रा को सम्बन्धित के Capacity in Hand में अंकित उपखनिज की मात्रा से कम कर दी जायेगी।

अतः एस0ए0रावत स्टोन केशर में मौके पर 13567.2 टन उपखनिज पाया गया। जबकि ई-रयन्ना पोर्टल में 9813.45 टन उपखनिज दर्शित है, जिसका 5 प्रतिशत 490.6725 टन उपखनिज जोड़ने पर कुल 10304.1225 टन होता है। इस प्रकार स्टोन केशर में 3263.0775 टन उपखनिज अधिक पाया गया। मौके पर अधिक पाये गये 3263.0775 टन उपखनिज पर नियमावली के प्राविधानानुसार रायल्टी का चार गुना की दर से रू० 9,13,862/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है। उक्त अनियमितता के दृष्टिगत मै० एस0ए0रावत स्टोन केशर को मौके पर सीज करते हुए ई-रयन्ना पोर्टल अस्थायी रूप से निलम्बित कर दिया गया है।

यह भी अवगत कराना है कि इस कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखानुसार मै० एस0ए0रावत स्टोन केशर में वर्तमान "खनन सत्र" (01 अक्टूबर, 2025 से आतिथि तक) की अवधि में कोई अनिमितता का उल्लेख नहीं है।

तदनुसार आख्या अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(मौ० काजिम रजा)

प्र०खान अधिकारी/खान निरीक्षक,
हरिद्वार।

संगुप्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 03.02.2026 को तहसील व जनपद हरिद्वार के ग्राम दादूयांरा क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन की दूरभाष पर प्राप्त मौखिक शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा तहसील हरिद्वार के ग्राम दादूयांरा स्थित मै 0 एस0ए0 रावत स्टोन केशर का संगुप्त रूप से औद्योगिक निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के समय स्टोन केशर में कच्चा माल (आर0बी0एम0) मिला, जिससे अवैध खनन का उपखनिज लिये जाने की पुष्टि होती है। स्टोन केशर में उपलब्ध उपखनिज की मौके पर पैमाईश स्टोन केशर के मुंशी की उपस्थिति में की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	उपखनिज का नाम	पैमाईश (मी0मी0)	मात्रा (बल्क डेन्सिटी के अनुसार टन में)
1.	आर0बी0एम0	62x28x1.5	4687.2
2.	कोरसैण्ड	48x22x1.5	2851.2
3.	6एम0एम0	24x9.5x3	1094.4
4.	डस्ट	27x8x3.5	1209.6
5.	10एम0एम0	16x12.5x2.5	800
6.	20एम0एम0	22x11.5x2	809.6
7.	40एम0एम0	26x10x2.5	1040
8.	53एम0एम0	18x14x1.5	604.8
9.	10एम0एम0	14x12x1.75	470.4
		योग	13587.2 टन

उक्त स्टोन केशर में मौके पर 13587.2 टन उपखनिज पाया गया। जबकि ई-रवन्ना पोर्टल में 9813.45 टन उपखनिज दर्शित है।

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम (14)(5)(ग) में प्रतिस्थापित नियम के प्राविधानानुसार "भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर नियमावली के नियम 14 के उपनियम (5) का खण्ड (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियमावली के नियम (14)(5)(क) में प्रतिस्थापित नियम के प्राविधानानुसार "यदि भण्डारणों में कोई अवैधता/ अनियमितता पाई जाती है तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज/ई-रवन्ना पोर्टल को बन्द करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण/साक्ष्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार में रायल्टी का तीन गुना तथा उसके पश्चात् रायल्टी का चार गुना के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। (किस्ती व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी आदि के नाम से एक से अधिक अनुज्ञा स्वीकृत होने पर यदि एक अनुज्ञा स्थल पर अर्धदण्ड आरोपित किया जाता है अथवा उक्त नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व आरोपित किया गया है तो दूसरे


अनुज्ञा स्थल पर अर्धदण्ड रायल्टी के चार गुना के समतुल्य धनराशि आरोपित की जायेगी)। सम्बन्धित भण्डारणकर्ता के द्वारा उक्त अधिरोपित धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक के द्वारा दी जायेगी। यदि भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वारतविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर कम पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध उक्तानुसार धनराशि आरोपित करते हुये कम पायी गयी उपखनिज की मात्रा को सम्बन्धित के Capacity in Hand में अंकित उपखनिज की मात्रा से कम कर दी जायेगी।


अतः एस0ए0रावत स्टोन केशर में मौके पर 13567.2 टन उपखनिज पाया गया। जबकि ई-रवन्ना पोर्टल में 9813.45 टन उपखनिज दर्शित है, जिसका 5 प्रतिशत 490.6725 टन उपखनिज जोड़ने पर कुल 10304.1225 टन होता है। इस प्रकार स्टोन केशर में 3263.0775 टन उपखनिज अधिक पाया गया। मौके पर अधिक पाये गये 3263.0775 टन उपखनिज पर नियमावली के प्राविधानानुसार रायल्टी का चार गुना की दर से ₹ 9,13,682/- का अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है। उक्त अनियमितता के दृष्टिगत मै0 एस0ए0रावत स्टोन केशर को मौके पर सीज करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल अस्थायी रूप से निलम्बित कर दिया गया है।

तदनुसार आख्या सादर प्रेषित है।




0212126
Surya Jem 400


A.S.I


खान निरीक्षक/प्र० खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार

प्रपत्र "एल"
मासिक विवरणी
देखिये नियम 12 (2)

दिनांक 01/02/2026 से 03/02/2026 तक के लिये विवरणी

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
Haridwar

- 1- भण्डार के स्वामी का नाम और पता: S.A.RAWAT STONE CRUSHER
- 2- ई-रचना पोर्टल पंजीकरण आई.डी: SC68021874 टिन/जीएसटी संख्या: 05ADEF52499C1Z3
- 3- परिसर, जहाँ खनिजों का भण्डारण किया गया है, की अवस्थिति और स्वामित्व यथा:
गाटा संख्या: 230ml,270ml,276m etc नगर/ग्राम: Dadubans
तहसील: Hardwar जिला: Haridwar
- 4- खनिजों के भण्डारण हेतु जिला प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की संख्या और दिनांक:-

- 5- खनिजों के स्टॉक का विवरण जैसा कि नीचे के स्तम्भ में दिया गया है:-

खनिज/खनिजों के नाम	प्रत्येक खनिज का प्रारम्भिक स्टॉक (टन में)	माह के दौरान प्राप्त खनिज/खनिजों की कुल मात्रा	माह के दौरान निर्गमित खनिज की कुल मात्रा (टन)	माह के दौरान जारी किये गये अभिवहन पाप्तों की संख्या	निर्गत हेतु प्रयोग किये गये बाहतों की संख्या दिनांक	परिवहन के प्रकार का विवरण (बाहन की पंजीकरण संख्या)	खातिजवार अंतिम स्टॉक (टन में)	अभिसूक्ति यदि कोई हो
Bajri + Core Sand + Dust + Grit + GSB + Ordinary Soi	4340.65	6948.50	1475.70	37	22	संतत विक्री सूची देखें	9813.45	

स्थान:.....

दिनांक:.....


अनुमतिधारी के हस्ताक्षर

कृपया संलग्न पत्रांक सं० 221/भू०खनि०वि०-हरि०/एन०जी०टी०-145/2026/2026-27, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 145/2026 असद खान मौहम्मद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में आपके आदेश के अनुपालन में संयुक्त जाँच राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड रुडकी, हरिद्वार तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार दिनांक 26.05.2026 को मौके का स्थलीय निरीक्षण करते हुए की गई।


संयुक्त जांच आख्या निम्न प्रकार है:-

1. श्री असद खान मौहम्मद से सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका।
2. श्री असद खान मौहम्मद के नाम ग्राम दादूबास ग्रन्ट के भूमि खाता संख्या 37 के खसरा संख्या 2/12 क्षे० 0.0510 है०, 2/15 क्षे० 0.1540 है०, 3/2 क्षे० 0.2360 है०, 4/6 क्षे० 0.9430 है०, 5/13 क्षे० 0.0820 है०, 1/3 मि खे० 0.2050 है०, 1/3 मि क्षे० 0.4100 है० कुल 07 किते क्षे० 2.0810 है० भूमि में बतौर संक्रमणीय भूमिधर खातेदार के रूप में अंकित है।
3. श्री असद खान मौहम्मद के नाम की भूमि की स्थल पर डोल नहीं पाई, न ही भूमि विशिष्ट रूप से तारबाड आदि से घिरी हुई पाई गई।
4. स्थल पर असद खान का कोई प्रतिनिधि भी नहीं मिला।
5. कुछ स्थानों पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खनन का किया जाना पाया गया।
6. शिकायतकर्ता द्वारा फोटोग्राफस में दर्शित शिकायती स्थल का मौके पर निरीक्षण किया गया, शिकायती स्थल की मै० एस०ए० रावत स्टोन क्रेशर से हवाई दूरी लगभग 04 किमी० है।
7. क्षेत्र में मौके पर समय-समय पर अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है व अवैध खनन के परिवहन में लिफ्ट ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर विधिनुसार कार्यवाही की जाती है।


संयुक्त जांच आख्या सादर प्रेषित।


राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग


राजस्व निरीक्षक
राजस्व विभाग


भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
हरिद्वार


क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र०नि०बोर्ड


जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
हरिद्वार।

उत्तराखण्ड शासन
 औद्योगिक विकास अनुभाग-1
 संख्या: 969 /VII-1/05-स्टोन क्रेशर/2017
 देहरादून : दिनांक: 24 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पत्र सं० 208/स्टोन क्रेशर/खनन/हरि०/2017-18 दिनांक 15 जून, 2017 के क्रम में आवेदक श्री सईदुर्रमान मै० एस०ए०रावत स्टोन क्रेशर ग्राम दादूबांस, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार को ग्राम दादूबांस, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत खाता सं० 259 के गाटा संख्या 255, 297, 230/7, 274/4, 276/3, 278, 279/1, 280/1, 287/2, 277/2 कुल रकवा 1.5666है० में से 1/2 भाग यानि 0.6666है० व खाता संख्या 87 के गाटा संख्या 277/3, 213 रकवा 0.205है० व खाता संख्या 93 के गाटा संख्या 277/3 व 171/2 रकवा 0.274है० व खाता संख्या 89 के गाटा संख्या 234 में से 1/3 भाग यानि रकवा 0.1126है० व खाता संख्या 75 के गाटा सं० 234/0.482है० व 234 व 235 रकवा 1.650है० में से 1/2 भाग यानि 0.550है० व खाता संख्या 138 के गाटा संख्या 138 के गाटा संख्या 224 इस प्रकार सभी खातों का कुल रकवा 3.2606है० मध्ये 2.225है० नाप भूमि में 200 टन प्रतिदिन अर्थात् 20 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित करेगा।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० उंची होगी।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
8. स्टोन क्रेशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed सेड के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
9. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल हवा में न उड़े।
11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।


12. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
13. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण कशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्बारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
14. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा फब्बारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फब्बारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
15. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्कबिंग की जायेगी। स्कबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चैक लिस्ट के अनुसार स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।
17. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016, यथासंशोधित के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना होगा।
18. स्टोन क्रेशर को भण्डारण की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा स्टोन क्रेशर स्वामी को स्टोन क्रेशर संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्या:- १८१ (1)/VII-1/5-स्टोन क्रेशर/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, खनन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री सईदुर्रमान मै० एस0ए0रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम दादूबांस, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

संख्या: 1722 /VII-A-1/2023-05 स्टोन केशर/2017

देहरादून, दिनांक: 24 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं० 2774/खनन/भूखनि०ई०/स्टो०के०प्ला०नवी/हरि०/ 2022-23, दिनांक 25.10.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० एस०ए० रावत स्टोन केशर, ग्राम दादूबांस, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार के पक्ष में ग्राम दादूबांस, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 230मि, 274मि, 276मि, 278, 279मि, 277मि, 287मि, 281मि, 282मि कुल क्षेत्रफल 2.135 है०, जो कि एक संहत खण्ड में स्थित है, में स्वीकृत स्टोन केशर में पूर्व भागीदारों में से श्री साईदू रहमान पुत्र श्री सागीर अहमद, नि० म०न० 384, ग्राम ढाबा, पो० मिर्जापुर, बेहट, सहारनपुर, उत्तरप्रदेश को हटाते हुए नवीन भागीदार श्री सत्तार पुत्र श्री नानू नि० ग्राम हजाराग्रन्ट, औरंगाबाद, हरिद्वार का नाम अंकित करते हुए पूर्व से स्वीकृत/संचालित 20 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन केशर प्लांट का नवीनीकरण प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा सहित दिनांक 24 अक्टूबर, 2022 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु जनहित याचिका संख्या 210/2021 "प्रेम सिंह रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय एवं निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 14 "स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तों" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 02 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 8 (1) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
5. स्टोन केशर नीति-2021 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 16 (3) के प्रावधानानुसार मैदानी क्षेत्रों में 20 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन केशर अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क रू० 20,00,000/- (रूपये बीस लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष शुल्क रू० 19,78,000/- (रूपये उन्नीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) प्लांट के नवीनीकरण स्वीकृति के उपरान्त, ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
6. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन केशर नीति-2021 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 38 के अनुसार स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा

पर सर्वरक्षण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू० 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखांक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 39 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
8. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 39 (2) के अनुसार यदि स्टोन क्रेशर प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
9. स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 39 (3) के अनुसार स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. प्लांट स्वामी के द्वारा वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, देहरादून में प्रस्तुत किया जाना होगा।
11. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार प्लांट में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
12. शासन से अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त प्लांट स्वामी के द्वारा अन्य भागीदार यथा श्री सददाम अहमद रावत व श्री शहजाद अहमद के पक्ष में निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, जिलाधिकारी कार्यालय व जिला खान अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट स्वामी का ई-रवन्ना पोर्टल खोला जायेगा।
13. प्लांट स्वामी के द्वारा मा० उच्च न्यायालय, मा० उच्चतम न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्या:- 1722(1)/VII-A-1/2023-05 स्टोन क्रेशर/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. मै० एस०ए० रावत स्टोन क्रेशर, ग्राम दादूबांस, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

प्र० खान अधिकारी/खान निरीक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार के पत्रांक-2012 दिनांक 05.02.2026 के अनुसार दिनांक 03.02.2026 को राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा तहसील हरिद्वार के ग्राम दादुबांस स्थित मै० एस०ए० रावत स्टोन केशर का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के समय स्टोन केशर में कच्चा माल (आर०वी०एम०) मिला, जिससे अवैध खनन का उपखनिज लिये जाने की पुष्टि होती है। स्टोन केशर में उपलब्ध उपखनिज की मौके पर पैमाईश स्टोन केशर के मुंशी की उपस्थिति में की गयी। उक्त स्टोन केशर में मौके पर 13567.2 टन उपखनिज पाया गया। जबकि ई-खनना पोर्टल में 9813.45 टन उपखनिज दर्शित है, जिसका 5 प्रतिशत 490.6725 टन उपखनिज जोड़ने पर कुल 10304.1225 टन होता है। इस प्रकार स्टोन केशर में 3263.0775 टन उपखनिज अधिक पाया गया। मौके पर अधिक पाये गये 3263.0775 टन उपखनिज पर नियमावली के प्रावधानानुसार रायल्टी का चार गुना की दर से रू० 9,13,662/- का अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है एवं उक्त अनियमितता के दृष्टिगत मै० एस०ए० रावत स्टोन केशर का मौके पर सीज करत हुए ई-खनना पोर्टल अस्थायी रूप से निलम्बित कर दिया गया है। प्र० खान अधिकारी/खान निरीक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार द्वारा आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके कार्यालय अभिलेखों के अनुसार मै० एस०ए० रावत स्टोन केशर में वर्तमान "खनन सत्र" (01 अक्टूबर, 2025 से आतिथि तक) की अवधि में कोई अनियमितता का उल्लेख नहीं है।

श्री सत्तार प्रबन्धक/स्वामी मै० एस०ए० स्टोन केशर दादुबांस द्वारा उक्त अधिरोपित अर्धदण्ड धनराशि रू०-9,13,662/- ई-चालान सं०-08530226E0010930 दिनांक 05.02.2026 के द्वारा जमा करा दी गई है एवं जमा चालान की प्रति संलग्न करते हुए उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने एवं ई-खनना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

प्रश्नगत मामलों में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 06.02.2026 के अन्तर्गत उक्त अधिरोपित अर्धदण्ड धनराशि रू०-9,13,662/- ई-चालान सं०-08530226E0010930 दिनांक 05.02.2026 के माध्यम से श्री सत्तार प्रबन्धक/स्वामी मै० एस०ए० स्टोन केशर दादुबांस द्वारा जमा कर दिये जाने एवं प्र० खान अधिकारी/प्र० खान अधिकारी/खान निरीक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार द्वारा आख्या अनुसार मै० एस०ए० रावत स्टोन केशर में वर्तमान "खनन सत्र" (01 अक्टूबर, 2025 से आतिथि तक) की अवधि में कोई अनियमितता न होने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्टोन केशर को सीजमुक्त करने एवं ई-खनना पोर्टल चालू करने की अनुमति प्रदान करने की गई है।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
हरिद्वार।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार।

संख्या: 304/खनन-2025-26

दिनांक: 06 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-उप जिलाधिकारी हरिद्वार।

2-खान अधिकारी,भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग हरिद्वार।

3-संबंधित केशर स्वामी/प्रोपराईटर।



अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
हरिद्वार।

प्रेषक,

प्र०खान अधिकारी/खान निरीक्षक,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
हरिद्वार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या: २०।२ / भू०खनि०वि०-हरि०/अवैध खनन/2025-28

दिनांक: ०५ फरवरी, 2026

विषय: जनपद व तहसील हरिद्वार के ग्राम दादूबांस स्थित एस०ए०रावत स्टोन केशर के औद्योगिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 03.02.2026 को तहसील व जनपद हरिद्वार के ग्राम दादूबांस क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन की दूरभाष पर प्राप्त मौखिक शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा तहसील हरिद्वार के ग्राम दादूबांस स्थित मै० एस०ए० रावत स्टोन केशर का संयुक्त रूप से औद्योगिक निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के समय स्टोन केशर में कच्चा माल (आर०वी०एम०) मिला, जिससे अवैध खनन का उपखनिज लिये जाने की पुष्टि होती है। स्टोन केशर में उपलब्ध उपखनिज की मौके पर पैमाईश स्टोन केशर के मुंशी की उपस्थिति में की गयी। उक्त स्टोन केशर में मौके पर 13567.2 टन उपखनिज पाया गया। जबकि ई-रवन्ना पोर्टल में 9813.45 टन उपखनिज दर्शित है। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न है।

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम (14)(5)(ग) में प्रतिस्थापित नियम के प्राविधानानुसार "भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर नियमावली के नियम 14 के उपनियम (5) का खण्ड (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियमावली के नियम (14)(5)(क) में प्रतिस्थापित नियम के प्राविधानानुसार "यदि भण्डारणों में कोई अवैधता/अनियमितता पाई जाती है तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज/ई-रवन्ना पोर्टल को बन्द करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण/सक्ष्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार में रायल्टी का तीन गुना तथा उसके पश्चात् रायल्टी का चार गुना के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। (किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी आदि के नाम से एक से अधिक अनुज्ञा स्वीकृत होने पर यदि एक अनुज्ञा स्थल पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है अथवा उक्त नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व आरोपित किया गया है तो दूसरे अनुज्ञा स्थल पर अर्थदण्ड रायल्टी के चार गुना के समतुल्य धनराशि आरोपित की जायेगी)। सम्बन्धित भण्डारणकर्ता के द्वारा उक्त अधिरोपित धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक के द्वारा दी जायेगी। यदि भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर कम पायी

जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध उक्तानुसार धनराशि आरोपित करते हुये कम पायी गयी उपखनिज की मात्रा को सम्बन्धित के Capacity in Hand में अंकित उपखनिज की मात्रा से कम कर दी जायेगी।

अतः एस0ए0रावत स्टोन केशर में मौके पर 13567.2 टन उपखनिज पाया गया। जबकि ई-रयन्ना पोर्टल में 9813.45 टन उपखनिज दर्शित है, जिसका 5 प्रतिशत 490.6725 टन उपखनिज जोड़ने पर कुल 10304.1225 टन होता है। इस प्रकार स्टोन केशर में 3263.0775 टन उपखनिज अधिक पाया गया। मौके पर अधिक पाये गये 3263.0775 टन उपखनिज पर नियमावली के प्राविधानानुसार रायल्टी का चार गुना की दर से रू० 9,13,862/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है। उक्त अनियमितता के दृष्टिगत मै० एस0ए0रावत स्टोन केशर को मौके पर सीज करते हुए ई-रयन्ना पोर्टल अस्थायी रूप से निलम्बित कर दिया गया है।

यह भी अवगत कराना है कि इस कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखानुसार मै० एस0ए0रावत स्टोन केशर में वर्तमान "खनन सत्र" (01 अक्टूबर, 2025 से आतिथि तक) की अवधि में कोई अनिमितता का उल्लेख नहीं है।

तदनुसार आख्या अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(मौ० काजिम रजा)

प्र०खान अधिकारी/खान निरीक्षक,
हरिद्वार।

संगुप्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 03.02.2026 को तहसील व जनपद हरिद्वार के ग्राम दादूयांरा क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन की दूरभाष पर प्राप्त मौखिक शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा तहसील हरिद्वार के ग्राम दादूयांरा स्थित मै 0 एस0ए0 रावत स्टोन केशर का संगुप्त रूप से औद्योगिक निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के समय स्टोन केशर में कच्चा माल (आर0बी0एम0) मिला, जिससे अवैध खनन का उपखनिज लिये जाने की पुष्टि होती है। स्टोन केशर में उपलब्ध उपखनिज की मौके पर पैमाईश स्टोन केशर के मुंशी की उपस्थिति में की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	उपखनिज का नाम	पैमाईश (मी0मी0)	मात्रा (बल्क डेन्सिटी के अनुसार टन में)
1.	आर0बी0एम0	62x28x1.5	4687.2
2.	कोरसैण्ड	48x22x1.5	2851.2
3.	6एम0एम0	24x9.5x3	1094.4
4.	डस्ट	27x8x3.5	1209.6
5.	10एम0एम0	16x12.5x2.5	800
6.	20एम0एम0	22x11.5x2	809.6
7.	40एम0एम0	26x10x2.5	1040
8.	53एम0एम0	18x14x1.5	604.8
9.	10एम0एम0	14x12x1.75	470.4
		योग	13587.2 टन

उक्त स्टोन केशर में मौके पर 13587.2 टन उपखनिज पाया गया। जबकि ई-रवन्ना पोर्टल में 9813.45 टन उपखनिज दर्शित है।

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम (14)(5)(ग) में प्रतिस्थापित नियम के प्राविधानानुसार "भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर नियमावली के नियम 14 के उपनियम (5) का खण्ड (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियमावली के नियम (14)(5)(क) में प्रतिस्थापित नियम के प्राविधानानुसार "यदि भण्डारणों में कोई अवैधता/ अनियमितता पाई जाती है तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज/ई-रवन्ना पोर्टल को बन्द करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण/साक्ष्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार में रायल्टी का तीन गुना तथा उसके पश्चात् रायल्टी का चार गुना के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। (किस्ती व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी आदि के नाम से एक से अधिक अनुज्ञा स्वीकृत होने पर यदि एक अनुज्ञा स्थल पर अर्धदण्ड आरोपित किया जाता है अथवा उक्त नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व आरोपित किया गया है तो दूसरे

अनुज्ञा स्थल पर अर्धदण्ड रायल्टी के चार गुना के समतुल्य धनराशि आरोपित की जायेगी)। सम्बन्धित भण्डारणकर्ता के द्वारा उक्त अधिरोपित धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक के द्वारा दी जायेगी। यदि भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वारतविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर कम पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध उक्तानुसार धनराशि आरोपित करते हुये कम पायी गयी उपखनिज की मात्रा को सम्बन्धित के Capacity in Hand में अंकित उपखनिज की मात्रा से कम कर दी जायेगी।

अतः एस0ए0रावत स्टोन केशर में मौके पर 13567.2 टन उपखनिज पाया गया। जबकि ई-रवन्ना पोर्टल में 9813.45 टन उपखनिज दर्शित है, जिसका 5 प्रतिशत 490.6725 टन उपखनिज जोड़ने पर कुल 10304.1225 टन होता है। इस प्रकार स्टोन केशर में 3263.0775 टन उपखनिज अधिक पाया गया। मौके पर अधिक पाये गये 3263.0775 टन उपखनिज पर नियमावली के प्राविधानानुसार रायल्टी का चार गुना की दर से ₹ 9,13,682/- का अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है। उक्त अनियमितता के दृष्टिगत मै0 एस0ए0रावत स्टोन केशर को मौके पर सीज करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल अस्थायी रूप से निलम्बित कर दिया गया है।

तदनुसार आख्या सादर प्रेषित है।

Mohd. Jemdh
खान निरीक्षक/प्र० खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार

प्रपत्र "एल"
मासिक विवरणी
देखिये नियम 12 (2)

दिनांक 01/02/2026 से 03/02/2026 तक के लिये विवरणी

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
Haridwar

- 1- भण्डार के स्वामी का नाम और पता: S.A.RAWAT STONE CRUSHER
- 2- ई-रवत्रा पोर्टल पंजीकरण आई.डी: SC68021874 टिन/जीएसटी संख्या: 05ADEF52499C1Z3
- 3- परिसर, जहाँ खनिजों का भण्डारण किया गया है, की अवस्थिति और स्वामित्व यथा:
गाटा संख्या: 230ml,270ml,276m etc नगर/ग्राम: Dadubans
तहसील: Hardwar जिला: Haridwar
- 4- खनिजों के भण्डारण हेतु जिला प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की संख्या और दिनांक:-

- 5- खनिजों के स्टॉक का विवरण जैसा कि नीचे के स्तम्भ में दिया गया है:-

खनिज/खनिजों के नाम	प्रत्येक खनिज का प्रारम्भिक स्टॉक (टन में)	माह के दौरान प्राप्त खनिज/खनिजों की कुल मात्रा	माह के दौरान निर्गमित खनिज की कुल मात्रा (टन)	माह के दौरान जारी किये गये अभिवहन पासों की संख्या	निर्गत हेतु प्रयोग किये गये बाहतों की संख्या दिनांक	परिवहन के प्रकार का विवरण (बाहन की पंजीकरण संख्या)	खातिजवार अंतिम स्टॉक (टन में)	अभिसूक्ति यदि कोई हो
Bajri + Core Sand + Dust + Grit + GSB + Ordinary Soi	4340.65	6948.50	1475.70	37	22	संतत विक्री सूची देखें	9813.45	

स्थान:.....

दिनांक:.....

अनुमतिधारी के हस्ताक्षर